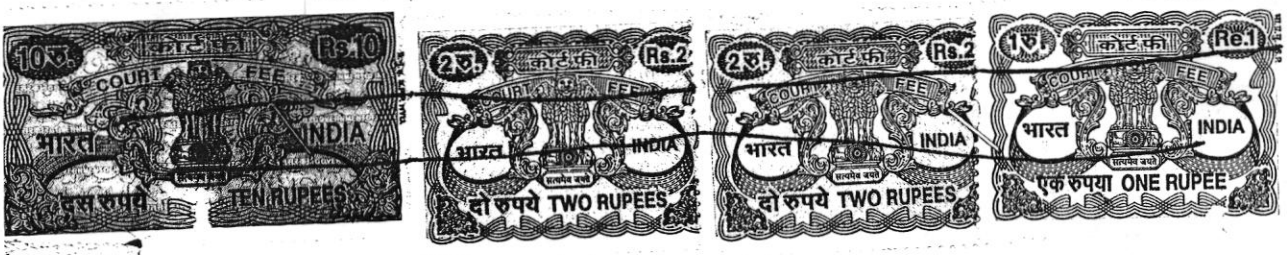

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू प्रकरण क्रमांक– III /2014. रिव्यू 3502-III/14

हीरालाल तनय चिपला कुशवाह, निवासी–
ग्राम मेंदवारा तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़
(म.प्र.) ——आवेदक

बनाम

प्रकाश पुत्र प्यारेलाल खरे, निवासी–ग्राम मेंदवारा
तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
——अनावेदक

<u>रिव्यू आवेदन–पत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल म.प्र. के प्रकरण क्रमांक निगरानी–1933–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 01/08/2014 के विरूद्ध</u>

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यू आवेदन–पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1. यह कि, रिव्यू आवेदन–पत्र का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा पैतृक समय से चला आ रहा है और वर्तमान में भी आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है और खेती कर अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। इस ओर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ध्यान ही नही दिया गया और आवेदक की निगरानी ग्राह्यता पर ही बिना अभिलेख तलब किये निगरानी निरस्त कर दी गई जो न्याय एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत है जो आदेश दिया गया है वह स्थिर रखने योग्य नही है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – टीकमगढ़

प्रकरण कमांक – रिव्यू 3402–तीन / 14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 1933–तीन / 14 में पारित आदेश दिनांक 06–05–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निश्कर्शों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनरावलोकन का आधार नहीं है । पुनरावलोकन आवेदन में जिन आधारों को बतलाया गया है, उन आधारों पर तत्कालीन सदस्य द्वारा विचार करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । 3/ उपरोक्त विश्लेशण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	